

आदेश

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1998

का.आ.1001(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केरल तटीय जौन प्रबन्ध प्राथिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राथिकरण कहा गया है) के नाम से जात, इस आदेश को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए एक प्राथिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् :—

- | | |
|--|------------|
| 1. सचिव,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विभाग, केरल सरकार | —अध्यक्ष |
| 2. सचिव,
राजस्व विभाग,
केरल सरकार | —सदस्य |
| 3. सदस्य सचिव,
केरल राज्य प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड | —सदस्य |
| 4. डा. एम. बाबा, निदेशक
सेंटर फॉर अर्थ साइंस और
स्टडीज, थिरुवनन्तपुरम | —सदस्य |
| 5. निदेशक,
केन्द्रीय सामुद्रिक मत्स्य अनुसंधान
संस्थान, कोचीन | —सदस्य |
| 6. प्रो. बालकृष्णन नायर,
एमरिटस साइंस्ट, स्वाती, रेसिडेंस
रोड, थार्काड, थिरुवनन्तपुरम | —सदस्य |
| 7. निदेशक,
विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण,
केरल सरकार | सदस्य-सचिव |
| II. पर्यावरण को केरल राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :— | |
| (i) केरल राज्य सरकार से प्राप्त तटीय विनियमन जौन क्षेत्रों और तटीय जौन प्रबन्ध योजना (सी.जै.ड. एम. पी.) के वर्गीकरण में परिवर्तनों/उपात्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उन पर राष्ट्रीय तटीय जौन प्रबन्ध प्राथिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशों करना। | |
| (ii) (क) उक्त अधिनियम और तदर्थीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों उपर्युक्त | |

का अधिकथित व्यतिक्रम के मामलों पर जांच करना और यदि आवश्यक हो किसी विनिर्दिष्ट मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक ऐसे निदेशों का संबंध है ये उसे विनिर्दिष्ट मामले में गण्डीय तटीय जौन प्रबन्ध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों ;

- (ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों के उपबन्धों के व्यतिक्रम बाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक पाया जाए तो राष्ट्रीय तटीय जौन प्रबंध प्राधिकरण को ऐसे मामलों को टिप्पणियों सहित पुनर्विलोकन करने के लिए विनिर्दिष्ट करना :

परन्तु यह कि पैरा II के उप-पैरा (ii) (क) और (ख) के अधीन मामलों पर स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति, प्रतिनिधि निकाय या संगठन द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई की जा सकेगी।

- (iii) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (ii) (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल करना।
- (iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उद्भूत विवाद्यकों से संबंधित तथ्यों का सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

- III. प्राधिकरण तटीय विनियमन जौन से संबंधित पर्यावरणीय विवाद्यकों का निपटान करेगा जो केरल राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जौन प्रबन्ध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे विनिर्दिष्ट किए जाएँ।
- IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जौन में पारिस्थितकीय संवेदनशील जौन क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट प्रबन्ध योजना विरचित करेगा।
- V. प्राधिकरण, अति संवेदनशील हास/अवनत तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा और इस प्रकार पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट प्रबन्ध योजनाएं विरचित करेगा।
- VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जौन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विस्तारों की पहचान करेगा और उसके लिए एकीकृत तटीय जौन प्रबन्ध योजनाएं तैयार करेगा।
- VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V, VI के अधीन इसके द्वारा तैयार की गई योजनाओं और उनके उपान्तरणों का राष्ट्रीय, तटीय जौन प्रबंध प्राधिकरण को परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

- VIII. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा, जो केरल की अनुमोदित तटीय जौन प्रबंध योजना में अधिकथित हैं।
- IX. प्राधिकरण अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट कम से कम छः मास में एक बार राष्ट्रीय तटीय जौन प्रबन्ध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।
- X. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगी।
- XI. प्राधिकरण का मुख्यालय तिरुअनंतपुरम होगा।
- XII. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के विनिर्दिष्ट रूप से अंतर्गत न आने वाले किसी मामले का निपटान संबंधित कानूनी प्राधिकरण द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आई.ए.-III]

के. रौय पौल, अपर सचिव